

an>

Title: Need to change Government's norm for giving compensations to farmers.

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आंतरिक साहिब) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बहुत छी महत्वपूर्ण विषय सरकार के द्वान में लाना चाहता हूं। पंजाब, हरियाणा समेत कई प्रदेशों में बेगौरामी बारिश के कारण गेहूं की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मुआवजे के नाम्स देंज करने होंगे, वर्तमान उन नाम्स के तहत 1500 रुपये पर एकड़ दिया जाता है। छमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार को एक पत्र लिखा है कि कम से कम वह 10 हजार रुपये पर एकड़ होना चाहिए, वर्तमान 1500 रुपये का एक डीएची बैंक से खेत में पड़ जाता है, जबकि एक खेत की 10 हजार रुपये कास्ट आ जाती है। वहां फसल पूरी तैयार थी, इसलिए 1500 रुपये कुछ भी नहीं है। हमारी प्रदेश सरकार उसमें 3500 रुपये देती है, लेकिन फिर भी 5000 रुपये कम रहता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार वे नाम्स देंज करें और 10 हजार रुपये पर-एकड़ के पीछे मुआवजा दे। दूसरी बात यह है कि ब्लाक को इकाई माना जाता है, जबकि एक गांव को इकाई माना जाना चाहिए, वर्तमान 10 हजार रुपये पर-एकड़ होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : यह रेटेट करता है।

â€!(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा: इसलिए ये नाम्स देंज होने चाहिए और मुआवजा 10 हजार रुपये पर-एकड़ होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : यह रेटेट संबंधित है।

â€!(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री बैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबंध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।